रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 **REGISTERED NO. D. (D.N.) 127**

15/31/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1989/चैत्र 10, 1911
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1989 CHAITRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च 1989

का.आ. 217(अ)/18कक/आई डी.आर.ए./89.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 320(अ)/18कक/आई डी आर.ए./79, तारीख 6 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, [illegible] उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1989 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए इस बारे में रखने के लिए, समय समय पर निर्देश जारी किए थे। [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)] के गजट सं. का.आ. 246(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 25 मई, 1982

सं. का.आ. 832(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 24 नवम्बर, 1982
सं. का. आ. 385(अ)/18क्क/आई.डी.आर ए./83, तारीख 31 मई, 1983
सं. का.आ. 872(अ) 18क्क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 30 नवम्बर, 1983
सं. का.आ. 472(अ)/18क्क/आई.डी.आर ए./84, तारीख 28 जून, 1984,
सं. का.आ. 975(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984
सं. का आ 275(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./85, तारीख 29 मार्च, 1985
सं. का.आ. 146(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./86, तारीख 31 मार्च, 1986
सं का.आ. 266(अ)/18क्क/आई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987
और सं.का.आ. 326(अ)/18क्क/आई.डी.आर ए /88, तारीख 30 मार्च, 1988

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1990 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के प्रभावी बना रहे।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1990 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा.सं. 2(23)/80-सी यू एस]
आर.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 247(E)/18AA/IDRA/89—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)/18AA/IDRA/79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos.

S.O. 246(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th May, 1982;
S.O. 832(E)/18AA/IDRA/82, dated the 24th November, 1982;
S.O. 385(E)/18AA/IDRA/83, dated the 31st May, 1983;
S.O. 872(E)/18AA/IDRA/83, dated the 30th November, 1983;
S.O. 472(E)/18AA/IDRA/84, dated the 28th June, 1984;
S.O. 975(E)/18AA/IDRA/84, dated the 19th December, 1984;
S.O. 275(E)/18AA/IDRA/85, dated the 29th March, 1985;
S.O. 146(E)/18AA/IDRA/86, dated the 31st March, 1986;
S.O. 266(E)/18AAIDRA/87, dated the 30th March, 1987 and
S.O. 326(E)/18AA/IDRA/88, dated the 30th March, 1988.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1990.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1990.

[F.No. 2(23)/80-CUS]
R. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989